

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन  
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 दिसंबर, 2006]

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने;

वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है;

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक


1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।



परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

- (क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी;
- (ख) "संकटपूर्ण वन्य जीव आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामूलीवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रान्त रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा;
- (ग) "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है;
- (घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है;
- (ङ) "वन अधिकारों" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं;
- (च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वनकृषि बस्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है;
- (छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बाधित भागीदारी है;
- (ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परम्परागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;
- (झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बांस, झाड़ू झांखाड़, टूट, बैत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं;
- (ञ) "नोडल अधिकरण" से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अधिकरण अभिप्रेत है;
- (ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

  
सहायक नियोजन अधिकारी  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं  
राष्ट्रपुत्रा नवन, गोपाल